भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2426

उत्तर देने की तारीख - 04/08/2025

सोमवार, 13 श्रावण, 1947 (शक)

कौशल निर्माण के लिए युवा संगठनों को सहायता

2426. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कौशल निर्माण और नियोजन के लिए युवा संगठनों को पर्याप्त वित्तीय और नीतिगत सहायता प्रदान की है, यदि हां, तो आवंटित धनराशि, सहायता की श्रेणियां और कार्यान्वयन एजेंसियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि कौशल भारत मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) जैसी प्रमुख कौशल विकास पहलों को निधि के अत्यधिक कम उपयोग, पुराने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, कम नियोजन और नियोक्ता जुड़ाव दरों तथा लघु उद्यमों और महिलाओं के लिए अपर्याप्त पहुंच जैसी लगातार आ रही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इन मुद्दों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या कौशल पहलों के वास्तविक प्रभाव (उदाहरणार्थ नियोजन की सफलता, उद्योग संतुष्टि) को मापने के लिए कोई तृतीय-पक्ष मूल्यांकन अथवा स्वतंत्र निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो अब तक अभिनिर्धारित सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ): भारत सरकार कौशल विकास के माध्यम से देश के युवाओं की रोज़गार क्षमता में सुधार लाने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार

प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनः-कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उन्हें उद्योग-संबंधित कौशल से सुसज्जित करना है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बजट के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, जो मांग आधारित है।

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत धनराशि निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण लागत को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की जाती है। जेएसएस योजना के अंतर्गत, धनराशि गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सीधे जारी की जाती है। एनएपीएस के अंतर्गत, प्रशिक्षुओं को 1500/- रुपये प्रति माह तक की वजीफा सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से जारी की जाती है, न कि संबंधित संस्थानों को। आईटीआई के संबंध में दैनिक प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास होता है।

एमएसडीई की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जारी निधि का विवरण निम्नानुसार है:

योजना(एँ)	राशि (करोड़ रुपए में)
पीएमकेवीवाई (2015-16 से 30.06.2025 तक)	10,292.97
एनएपीएस (2018-19 से 31.03.2025 तक)	1,823.08
जेएसएस योजना (2018-19 से 31.03.2025 तक)	873.94

यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रदान किए जाने वाले कौशल वर्तमान उद्योग आवश्यकताओं के अनुरूप हों, युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार हो, तथा महिला उम्मीदवारों तक समान रूप से पहुंच बढ़े, एमएसडीई द्वारा निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए गए हैं:

(i) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना एक व्यापक नियामक के रूप में की गई है जो तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विनियम एवं मानक स्थापित करता है।

(ii) एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त पुरस्कार देने वाली संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे उद्योग की मांग के अनुसार योग्यताएं विकसित करें और उन्हें राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण, 2015 के अनुसार चिन्हित व्यवसायों के साथ जोड़ें तथा उद्योग से मान्यता प्राप्त करें।

(iii) संबंधित क्षेत्रों के उद्योग जगत के अग्रणी लोगों के नेतृत्व में 36 क्षेत्र कौशल परिषदें (एसएससी) स्थापित की गई हैं, जिनका कार्य संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करना और कौशल योग्यता मानकों का निर्धारण करना है। एनएसडीसी, बाज़ार-आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत, उन प्रशिक्षण प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है जो उद्योग जगत की माँग के साथ सहयोग और कौशल पाठ्यक्रमों को संरेखित करते हैं।

(iv) एमएसडीई के तत्वावधान में प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) फ्लेक्सी एमओयू योजना और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य आईटीआई छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करना है।

(v) पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, नए युग/भविष्य के कौशल वाली नौकरी-भूमिकाओं को आगामी बाजार मांग और उद्योग की आवश्यकताओं के लिए एआई/एमएल, रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी आदि जैसे क्षेत्रों में उद्योग 4.0 आवश्यकताओं के साथ विशेष रूप से संरेखित किया गया है।

(vi) डीजीटी ने 5जी नेटवर्क तकनीशियन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग सहायक, साइबर सुरक्षा सहायक, ड्रोन तकनीशियन आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सीटीएस के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में नए युग/भविष्य कौशल पाठ्यक्रम शुरू किए हैं।

(vii) डीजीटी ने सीएसआर पहलों के तहत राज्य और क्षेत्रीय स्तरों पर संस्थानों के लिए उद्योग संपर्क सुनिश्चित करने हेतु आईबीएम, सिस्को, फ्यूचर स्किल राइट्स नेटवर्क, अमेज़न वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) और माइक्रोसॉफ्ट जैसी आईटी प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारियाँ आधुनिक प्रौद्योगिकियों में तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था को सुगम बनाती हैं।

(viii) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में अहमदाबाद और मुंबई में स्थापित भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस) अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और व्यावहारिक प्रशिक्षण से लैस उद्योग 4.0 के लिए उद्योग-तैयार कार्यबल का एक पूल बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

(ix) एमएसडीई ने स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) नामक एक एकीकृत मंच शुरू किया है जो कौशल, शिक्षा, रोज़गार और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को एकीकृत करता है ताकि विभिन्न हितधारकों को लक्षित करते हुए जीवन भर सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान की जा सके। प्रशिक्षित उम्मीदवारों का विवरण संभावित नियोक्ताओं से जुड़ने के लिए सिद्ध पोर्टल पर उपलब्ध है। सिद्ध के माध्यम से, उम्मीदवार नौकरियों और प्रशिक्षुता के अवसरों तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं।

(x) एमएसडीई प्रमाणित उम्मीदवारों को प्लेसमेंट और प्रशिक्षुता के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार मेले और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेले (पीएमएनएएम) का भी आयोजन करता है।

(xi) कौशल विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, परिवहन, आवास एवं भोजन पर होने वाले व्यय के साथ-साथ नियुक्ति के बाद सहायता के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। पीएमकेवीवाई 4.0 उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देता है और उन पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है जिनमें महिलाओं को प्राथमिक लाभार्थी के रूप में महत्व दिया जाता है। जेएसएस योजना के तहत 80% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं। इसके अलावा, 19

राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) और 300 से अधिक आईटीआई विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं।

कौशल विकास योजनाओं के प्रभाव का आकलन उनके तृतीय पक्ष द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की प्रमुख योजना पीएमकेवीवाई का मूल्यांकन नीति आयोग द्वारा अक्टूबर 2020 में किया गया था। अध्ययन के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल लगभग 94 प्रतिशत नियोक्ताओं ने बताया कि वे पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित और अधिक उम्मीदवारों को नियुक्त करेंगे। इसके अलावा, पूर्णकालिक/अंशकालिक रोजगार में रखे गए और आरपीएल घटक के तहत उन्मुख 52 प्रतिशत उम्मीदवारों को अधिक वेतन मिला या उन्हें लगे कि उन्हें अपने अप्रमाणित साथियों की तुलना में अधिक वेतन मिलेगा।

एमएसडीई की अन्य योजनाओं के संबंध में, तृतीय पक्ष मूल्यांकन रिपोर्टों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति या आजीविका में सुधार के संदर्भ में सफलता का उल्लेख किया गया है। इनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

जेएसएस: 2020 में जेएसएस योजना पर किए गए मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया है कि इस योजना ने उन लाभार्थियों की घरेलू आय लगभग दोगुनी करने में मदद की है जिन्हें जेएसएस प्रशिक्षण के बाद रोज़गार मिला है या वे स्व-रोज़गार में लगे हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इस योजना की उपयोगिता इस तथ्य से और भी स्पष्ट होती है कि 77.05% लाभार्थी प्रशिक्षुओं ने अपना व्यवसाय बदल लिया है। अध्ययन ने यह भी पुष्टि की है कि इस योजना में कौशल विकास का मुख्य उद्देश्य स्व-रोज़गार को बढ़ावा देना है।

एनएपीएस: 2021 में किए गए एनएपीएस के तृतीय-पक्ष मूल्यांकन अध्ययन से पता चला है कि इस योजना ने संरचित ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करके युवाओं की रोज़गार क्षमता को सफलतापूर्वक बढ़ाया है, और विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षुओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। योजना के नए संस्करण में, सरकार के हिस्से को सीधे प्रशिक्षुओं के बैंक खातों में स्थानांतरित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) पद्धति को अपनाया गया है, क्योंकि रिपोर्ट में सुव्यवस्थित प्रतिपूर्ति प्रक्रिया की सिफारिश की गई थी।

आईटीआई: एमएसडीई द्वारा 2018 में प्रकाशित आईटीआई स्नातकों के ट्रेसर अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कुल आईटीआई उत्तीर्णों में से 63.5% को रोजगार मिला (जिनमें से 6.7% स्व-नियोजित हैं)।

*****